B.N. College, Bhagalpur

A Constituent unit of Tilka Manjhi Bhagalpur University

Department of History

Topic : Government of India Act 1919 (PPT)

B.A. Part-3

Prepared by : Sri Pinku kumar

Asst. Professor (Dept. of History)

B.N. College Bhagalpur

Contact (whatsApp) no- 7982166260

Email id- kpinku348@gmail.com

भारत सरकार अधिनियम 1919

पृष्ठभूमि

- 1919 के सुधार अधिनियम (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के लागू होने के पीछे पिछले 10 वर्षों की परिस्थितियां उत्तरदायी रही है। 1909 ई. का सुधार कानून (मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम) त्रुटिपूर्ण, अपर्याप्त तथा भारतीयों की समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ था, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रवाद की भावना में वृद्धि हुई।
- 1914 ई. में आरंभ हुए प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अनेक घोषणाएं की। भारतीयों ने युद्ध में अंग्रेजी सरकार को पूर्ण सहायता दी। परंतु युद्ध के बाद भारतीयों को जब अपनी आशाएं पूर्ण होती हुई दिखाई नहीं पड़ी तो उनमें असंतोष बढ़ा।
- 1909 ई. के पृथक निर्वाचन की मान्यता ने अंग्रेजों और मुसलमानों की मित्रता को प्रगाढ़ बना दिया था किंतु इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी (जैसे - ब्रिटिश सरकार के तुर्की विरोधी नीति आदि) जिससे मुसलमानों में भी राष्ट्रीय जागरण हुआ और वह अंग्रेज विरोधी हो गए ।

गृह सरकार संबंधी प्रावधान

- ब्रिटिश शासन का जो भाग इंग्लैंड में कार्य करता था वह गृह सरकार कहलाता था। इस गृह सरकार में भारत मंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण था। भारत सरकार के विधायी, प्रशासकीय व आर्थिक मामलों पर भारत मंत्री का पूरा नियंत्रण था और उसकी सहायता के लिए एक परिषद थी। भारत सचिव भारत संबंधी मामलों हेतु ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था।
- भारत सचिव की भारत परिषद के सदस्यों की संख्या 8 से 12 तक निश्चित कर दी गई। इनमें से तीन सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था और कुल सदस्यों में से आधे ऐसे होने चाहिए थे जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष तक भारत में निवास किया हो। इन सदस्यों की अवधि 5 वर्ष निश्चित की गई।
- भारत सचिव का वेतन भारत की की जगह ब्रिटेन के राजकोष से दिया जाना निश्चित किया गया (पहले भारत के राजस्व से वसूला जाता था)।
- भारत संबंधी कुछ कार्यों (जैसे व्यापार, ब्रिटेन में भारतीयों की शिक्षा) के लिए एक नवीन अधिकारी 'भारतीय हाई कमिश्नर' की नियुक्ति की गई।
- भारत सचिव के अधिकारों में कुछ कमी की गई। प्रांत के हस्तांतरित विषयों के बारे में उससे कम हस्तक्षेप की आशा की जाती थी और जिन विषयों में गवर्नर जनरल और भारतीय व्यवस्थापिका सभा एकमत हो उसमें भी उसे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रहा।

भारत के शासन संबंधी प्रावधान

केंद्रीय विधानमंडल

- केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा को दो सदनों में विभाजित कर दिया गया अर्थात राज्य परिषद (काउंसिल ऑफ स्टेट) और विधानसभा (लेजिसलेटिव असेंबली)। भारतीय विधानसभा में कुल 145 सदस्य रखे गए। इनमें 105 सदस्य निर्वाचित और शेष 40 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत तथा भारतीय राज्य परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 60 रखी गई, जिनमें 33 सदस्य निर्वाचित और 27 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे।
- दोनों सदनों में गतिरोध होने पर गवर्नर जनरल संयुक्त बैठक बुला सकता था। यद्यपि गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका सभा की सलाह को ठुकरा सकता था और केंद्रीय कार्यकारिणी भी किसी प्रकार व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, परंतु फिर भी सदस्यों के प्रश्न पूछने, मत देने और प्रस्तावों को आरंभ करने आदि के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई।
- सदन (राज्य परिषद) का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया जबकि निम्न सदन या विधानसभा की अवधि 3 वर्ष तथा चुनाव के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई गई।
- गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या आठ निश्चित की गई जिसमें से कम से कम 2 का भारतीय होना आवश्यक था।

प्रांतीय शासन के संबंध में प्रावधान

- प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। प्रांतीय विधानमंडल एक सदनात्मक होता था।
- इसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनायी गई और प्रांतों को अनेक चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया गया, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था भी थी और मत देने का अधिकार, संपत्ति संबंधी योग्यता पर आधारित था। आरंभ में महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया लेकिन आगे चलकर यह निर्योग्यता हटा दी गई।
- प्रांतीय विधानमंडल की अवधि 3 वर्ष की गई थी। विधानमंडल अपने सदस्यों में से अध्यक्ष निर्वाचित करते थे। वित्तीय विषयों में विधानमंडल की शक्ति समिति थी।

द्वैध शासन

- प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। इसके तहत प्रांतीय विषयों को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया -पहला आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय।

द्वैध शासन

- पुलिस, जेल, वित्त, न्याय आदि विषय आरक्षित श्रेणी में रखे गए, जिसका प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद की सहायता से संचालित करता था।
- दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, उद्योग आदि हस्तांतरित विषय थे, जिनका प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के हाथों में था।
- आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह से करता था और हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर, भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था।
- पहले भाग का व्यवस्थापिका सभा के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं था परंतु दूसरे भाग से आशा की जाती थी कि वह व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होगा। शासन के इसी विभाजन के कारण इस व्यवस्था को द्वैध शासन कहा जाता है।

द्वैध शासन के दोष

- भारतीय मंत्रियों को कृषि, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा आदि के विभाग सौंपे गए थे जिनमें धन की बहुत आवश्यकता थी। परंतु वित्त विभाग सुरक्षित विषय था जो काउंसिल के सदस्य के अधिकार में था। इस कारण भारतीय मंत्रियों को अपने विभागों पर व्यय करने हेतु सर्वदा धन की कमी रहती थी और वह अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाते थे।
- भारतीय लोक सेवा के उच्च पदासीन व्यक्तियों पर भारतीय मंत्रियों का कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि ये पदाधिकारी गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे तथा भारतीय मंत्रियों के विचारों और नीतियों की अधिकांशतः अवहेलना कर दिया करते थे। ऐसी स्थिति में मंत्रीगण अपनी इच्छानुसार अपने विभाग का शासन करने में सर्वथा असमर्थ थे।
- सुरक्षित और हस्तांतरित विषयों के विभाजन के किसी सिद्धांत का सहारा नहीं लिया गया था। इस कारण यह विभाजन सर्वथा गलत और दोषपूर्ण था। परंतु यूरोपियनों और एंग्लो इंडियनों की शिक्षा सुरक्षित विषय था। ऐसे गलत विभाजन की स्थिति में शासन में सुधार असंभव था।
- निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि द्वैध शासन न तो सफल हुआ और न ही भारतीयों को संतुष्ट ही कर सका। इसमें सैद्धांतिक दोष तो थे ही, व्यावहारिक प्रयोग में भी इसमें अनेक दोष दिखाई दिए।